झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

(आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार)

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 663 / 2022

राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता- चंद्रदेव यादव, निवासी ग्राम रूपिन दधुवा, डाकघर- गिधौर, जिला चतरा।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. रंजीत कुमार, पिता: स्वर्गीय नकुल साहू, ग्राम- गंगापुर, डाकघर- गिधौर, जिला चतरा।

.... विपक्षी पक्ष

(सुनवाई दिनांक: 29.11.2023)

प्रस्तुति

सम्मेलन : माननीय श्री. न्यायमूर्ति सुभाष चंद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्रीमती जसविंदर मजूमदार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री अभय कुमार तिवारी, एपीपी

ओपी संख्या 2 के लिए : श्री शेखर पंडित गुप्ता, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

सी. ए. वी. दिनांक 29 नवंबर 2023 प्रस्तुति दिनांक 20 दिसंबर 2023

न्यायमूर्ति सुभाष चंद, न्यायमूर्ति द्वारा

याचिकाकर्ता राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव की ओर से विद्वान विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), चतरा द्वारा विविध में पारित दिनांक 04.05.2022 के आदेश के विरुद्ध तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण निर्देशित किया गया है। सीआर. आवेदन संख्या 1086/2021 धारा 227 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) गिधौर पी.एस. से उत्पन्न पॉक्सो केस संख्या 30/2021 के संबंध में। प्रकरण संख्या 01/2021 जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ता अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आवेदन खारिज कर दिया था।

2. इस आपराधिक पुनरीक्षण के लिए संक्षिप्त तथ्य यह है कि सूचक ने इन आरोपों से संबंधित पुलिस स्टेशन में एक लिखित सूचना दी थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 13.01.2021 की रात 1 बजे से उसके घर से लापता है। 12.01.2021 को 10:30 बजे सभी परिवार के सदस्य अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। अचानक उसकी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं मिली। उसकी तलाश भी की गई। उनकी नाबालिग बेटी कक्षा-दसवीं में पढ़ती थी। डेढ़ साल पहले स्कूल का एक शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव उसकी बेटी पर बुरी नजर रखता था। इसकी शिकायत विद्यालय के प्रबंधक से की गई तो विद्यालय प्रबंधन ने उसे विद्यालय से निकाल दिया, जबकि वह उनकी पुत्री से मिलने का प्रयास करता था। इस पूर्ण विश्वास के साथ कि राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पुत्री का अपहरण कर उसके साथ अवैध संबंध बनाने की नीयत से अपहरण कर लिया है, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस लिखित सूचना पर आरोपी राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के विरुद्ध थाना गिद्धौर जिला चतरा में धारा 363, 366ए आईपीसी के तहत अपराध संख्या 1/2021 दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य से धारा 302 के साथ 201 के तहत अपराध कायम हुआ और तदनुसार इन दोनों धाराओं को भी जोड़ा गया और जांच अधिकारी ने अनुसंधान समाप्त करने के बाद एफ.आइ.आर. दर्ज किया। राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(ए), 302, 201, 376डी, 34 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। साक्ष्य के अभाव में याचिकाकर्ता राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के खिलाफ 20.04.2021 को अंतिम रिपोर्ट प्रपत्र 29/2021 दाखिल की गई और शेष आरोपियों मोहम्मद सहजाद,

मोहम्मद अजहर, मोहम्मद सहाबुद्दीन के खिलाफ पूरक जांच में अन्य बिंदुओं पर जांच जारी रखी गई।

3. याचिकाकर्ता राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में आईओ द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 3 के आधार पर दिनांक 23.04.2021 के आदेश के तहत संज्ञान लिया। संशोधन संख्या 663/2022 पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध के लिए जांच अधिकारी द्वारा एकत्र साक्ष्य।

4. इस प्रकार वर्तमान याचिकाकर्ता राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध के लिए मुकदमा शुरू हुआ।

5. याचिकाकर्ता राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव की ओर से निचली अदालत के समक्ष इस आधार पर आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया कि हालांकि याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में था, जो केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इन आधारों पर याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त करने की प्रार्थना की गई।

6. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता/आरोपी के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान सरकारी वकील के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण को सुनने के बाद 04.05.2022 को आरोपित आदेश पारित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता के आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

7. विद्वान विशेष न्यायाधीश, पोक्सो, चतरा द्वारा पारित दिनांक 04.05.2022 के आरोपित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण इस आधार पर निर्देशित किया गया है कि विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आरोपित आदेश कानून की नजर में गलत है। विद्वान न्यायालय ने आरोपित आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने में विफल रहा है, जो कि विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज गलत निष्कर्ष पर आधारित है। विद्वान न्यायालय इस बात पर विचार करने में बुरी तरह विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं

बनता है, ताकि 4 सीआरपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाया जा सके। संशोधन सं. 2022 की धारा 663 पोक्सो अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया गया है, जबकि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति देने और विद्वान न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.05.2022 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता के डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

8. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्रीमती जे. मजूमदार, राज्य की ओर से विद्वान एपीपी श्री अभय कुमार तिवारी और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के लिए श्री शेखर पंडित गुप्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है।

9. यह स्थापित कानून है कि आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट को एफआईआर में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान आईओ द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों पर विचार करना होता है, अगर उनसे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो अदालत को आरोपी के डिस्चार्ज आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए।

10. यह भी स्थापित कानून है कि अभियुक्त के डिस्चार्ज आवेदन का निपटारा करते समय न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। डिस्चार्ज आवेदन का निपटारा करते समय साक्ष्यों का मूल्यांकन, साक्ष्यों को एकत्रित करना तथा लघु परीक्षण करना अनुमन्य नहीं है। यह भी स्थापित कानून है कि यदि गंभीर संदेह के लिए पर्याप्त सामग्री हो, तो भी न्यायालय को डिस्चार्ज आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए।

11. यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए कुछ वैधानिक प्रावधानों तथा न्यायिक घोषणाओं को इस न्यायालय को इस आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा करने में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है।

12. धारा 2(1)(j) 'यौन उत्पीड़न' का वही अर्थ होगा जो धारा 11 में दिया गया है।

13. पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 इस प्रकार है: "11. यौन उत्पीड़न.- किसी व्यक्ति को किसी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने वाला तब कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति यौन इरादे से-

(i) कोई शब्द बोलता है या कोई आवाज करता है, या कोई इशारा करता है या किसी वस्तु या शरीर के अंग को इस इरादे से प्रदर्शित करता है कि ऐसा शब्द या आवाज सुनी जाए, या ऐसा इशारा या वस्तु या शरीर का अंग बच्चे को दिखाई दे; या

(ii) बच्चे को अपना शरीर या शरीर का कोई अंग प्रदर्शित करने के लिए कहता है ताकि वह ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाई दे; या

(iii) किसी वस्तु को किसी भी रूप या मीडिया में अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे को दिखाता है; या

(iv) बार-बार या लगातार बच्चे का पीछा करता है या देखता है या सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से संपर्क करता है; या

(v) मीडिया के किसी भी रूप में, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य तरीके से बच्चे के शरीर के किसी अंग या यौन क्रिया में बच्चे की भागीदारी का वास्तविक या मनगढ़ंत चित्रण करने की धमकी देता है; या

(vi) *किसी बच्चे को यौन संबंधी उद्देश्यों के लिए फुसलाता है या उसके लिए रिश्वत देता है। स्पष्टीकरण- कोई भी प्रश्न जिसमें "यौन इरादे" शामिल हैं, तथ्य का प्रश्न होगा।"*

14. पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 में निम्नलिखित लिखा है:

"12. यौन उत्पीड़न के लिए सजा। जो कोई भी, 6 Cr. Rev. No.663 of 2022 किसी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से

दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।"

15. "**संघी ब्रदर्स (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम संजय चौधरी और अन्य**" (2008) 10 एससीसी 681 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-11 में कहा है, जो इस प्रकार है:

> *"11. धारा 227, 239 और 245 आपराधिक आरोप से मुक्ति से संबंधित हैं। कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी मामले में यह उल्लेख किया गया था कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होता है कि अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने के लिए कोई आधार है या नहीं। न्यायालय को आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते समय यह देखना होता है कि रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री अभियुक्त को मुकदमे से उचित रूप से जोड़ सकती है या नहीं। इसके अलावा और कुछ भी जांचने की आवश्यकता नहीं है।*

16. "**रुक्मिणी नार्वेकर बनाम विजया सातर्डेकर एवं अन्य" (2008)** 14 एससीसी 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-38 में यह निर्णय दिया है, जो इस प्रकार है:

> *"38. मेरे विचार में, अभियुक्त के पास आरोप तय करने के चरण में अपनी ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल ऐसी सामग्री जो धारा 227 सीआरपीसी में इंगित की गई है, उस चरण में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विचार में ली जा सकती है। हालांकि, धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में न्यायालय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या आरोप को कायम रखा जा सकता है। मेरे विचार में, धारा 227 और 228 को जिस तरह से शब्दों में लिखा जाना है, उसी तरह से उन्हें शब्दों में लिखा जाना चाहिए, जैसा कि देबेंद्र नाथ पाधी मामले में बड़ी पीठ द्वारा समझाया गया था, जिसके समक्ष यही प्रश्न भेजा गया था।*
>
> *कुछ दुर्लभ मामलों में न्यायालय बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर विचार कर सकता है यदि वह यह स्थापित और आश्वस्त करती है कि अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से बेतुका है।"*

17. **"पलविंदर सिंह बनाम बलविंदर सिंह और अन्य" (2008)** 14 एससीसी 504 में, 14 एससीसी 504 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-13 में कहा है, जो इस प्रकार है: "13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इस राय के हैं कि उच्च न्यायालय ने आरोप तय करने के चरण में साक्ष्य की सराहना के दायरे में प्रवेश करते हुए विवादित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय विद्वान सत्र न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र सीमित है। प्रबल संदेह के आधार पर आरोप तय किया जा सकता है। साक्ष्य की मार्शलिंग और सराहना इस समय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मामले के इस पहलू पर इस न्यायालय ने उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी (2005) 1 एससीसी 568 में विचार किया है।

18. **"विजयन बनाम केरल राज्य और अन्य"** 2010 एआईआर एससीडब्लू 886, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-10 में कहा है, जो इस प्रकार है:

> *"10. यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं और उनमें से एक गंभीर संदेह से अलग केवल संदेह को जन्म देता है, तो ट्रायल जज को अभियुक्त को बरी करने का अधिकार होगा और इस स्तर पर उसे यह नहीं देखना है कि ट्रायल दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होगा। इसके अलावा, "अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं" शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि न्यायाधीश अभियोजन पक्ष के कहने पर आरोप तय करने वाला मात्र डाकघर नहीं है, बल्कि उसे मामले के तथ्यों के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अभियोजन पक्ष द्वारा ट्रायल के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। इस तथ्य का आकलन करते समय, न्यायालय के लिए मामले के पक्ष-विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में परीक्षण शुरू होने के बाद न्यायालय का कार्य है। धारा 227 के चरण में, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य को छांटना होता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दूसरे शब्दों में, आधार की पर्याप्तता में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति शामिल होगी जो स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ संदेहास्पद परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया*

जा सके। एआईआर 2019 एससी 2109 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-19 में कहा है, जो इस प्रकार है: "19. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करना है कि विचारण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। यह सही है कि ऐसी कार्यवाही में न्यायालय को साक्ष्यों को एकत्रित करके लघु विचारण नहीं करना है।"

19. "**विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" एआईआर 2019** एससी 2109 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-19 में कहा है, जो इस प्रकार है:

"19. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना है कि परीक्षण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। यह सच है कि ऐसी कार्यवाही में, न्यायालय को साक्ष्यों को इकट्ठा करके मिनी ट्रायल नहीं करना है।"

20. एफआईआर के अवलोकन से यह पाया गया कि यह एफआईआर राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के विरुद्ध सूचक की नाबालिग पुत्री को उसके साथ अवैध संबंध बनाने के इरादे से अपहरण करने के संबंध में दर्ज की गई थी। आरोप है कि उनकी नाबालिग पुत्री चिल्ड्रेन पैरेज स्कूल, गिधौर में कक्षा-10वीं की छात्रा थी। डेढ़ साल से स्कूल का शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव उनकी नाबालिग पुत्री पर बुरी नजर रखता था। इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की गई थी। इसलिए उसे उस विद्यालय से शिक्षक के पद से हटा दिया गया। इसके बाद भी वह उनकी नाबालिग पुत्री से मिलने का प्रयास कर रहा था।

21. केस डायरी के **पैरा-3** में जांच अधिकारी ने सूचक **रंजीत कुमार** का पुनः कथन दर्ज किया, जिसमें उसने एफआईआर में लगाए गए सभी आरोपों को दोहराया। केस डायरी के पैरा-7 में पीड़िता की मां संगीता देवी का बयान दर्ज किया गया। अपने बयान में उसने अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि की और यह भी कहा कि स्कूल से निकाले जाने के बाद राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव ने उनसे मिलने के लिए आपराधिक धमकी दी थी और उसने उसकी नाबालिग पुत्री का पीछा करने का भी प्रयास किया था। इसी

तरह का बयान पीड़िता की बहन सुमिदा रानी ने केस डायरी के **पैरा-6** में दिया है। केस डायरी के पैरा-18 में रियाशु रीति का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि पीड़िता उसकी करीबी दोस्त थी। उसने बताया कि राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव पीड़िता को फोन पर पढ़ाता था। जब उसने इस संबंध में अपने माता-पिता को बताया तो इस शिकायत पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे विद्यालय से निकाल दिया था। पीड़िता ने यह बात तीन माह पूर्व बताई थी। केस डायरी के **पैरा-19** में आरती कुमारी का बयान दर्ज किया गया। वह पीड़िता की सहपाठी है। उसने भी इसी तरह का बयान दिया और बताया कि पीड़िता ने उसे बताया था कि विद्यालय का शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव उसे फोन पर पढ़ाता था। इस शिकायत पर शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव को विद्यालय से निकाल दिया गया था। पीड़िता ने यह बात तीन माह पूर्व बताई थी।

22. शव को तालाब से बाहर निकाला गया और उसकी पहचान की गई। जांच के दौरान जांच अधिकारी को टेलीफोन पर सूचना मिली कि अपहृत पीड़िता का शव गंगपुर गांव स्थित दतवाहर तालाब में पड़ा है।केस डायरी के **पैरा-54** के अनुसार शव की पहचान पीड़ित लड़की के रूप में हुई जो सूचक की पुत्री थी। केस डायरी के **पैरा-56** में मृतक लड़की के शव की जांच रिपोर्ट तैयार की गई।

23. केस डायरी के **पैरा-76** में पीड़ित लड़की के छोटे भाई राजवीर कुमार का बयान दर्ज किया गया जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन चिल्ड्रेन पैराराइज स्कूल में कक्षा-10 में पढ़ती थी। दो वर्ष पूर्व से उसका शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव उसे छेड़ता था। इसकी शिकायत उसके पिता ने स्कूल के प्रधानाचार्य से की थी तथा शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव को उस स्कूल से शिक्षक के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से वह उन्हें डरा धमका रहा था। वह उसकी बहन से बात करने का भी प्रयास कर रहा था। पिछले रविवार को शिक्षक राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव उसके घर के सामने स्थित सैलून पर आये थे और अपने घर की तरफ देख रहे थे। केस डायरी के **पैरा-123** के अनुसार, अभियुक्त राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव और सूचक की पीड़ित बेटी के **फोन नंबर की सीडीआर डिटेल** दी गई, जिससे पता चलता है कि टावर लोकेशन के अनुसार 12.01.2021 को राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव और सुप्रिया रानी के बीच इन फोन नंबरों पर कोई बात नहीं हुई थी। केस डायरी के **पैरा-141** में पीड़ित लड़की की

बहन सुमिधा रानी का बयान दर्ज किया गया। उसने बताया कि टायर पंचर की दुकान चलाने वाले मो. सहाबुद्दीन उर्फ साहब से वर्ष 2020 में उसकी दोस्ती हुई। इसके बाद सहाबुद्दीन से उसकी दोस्ती हो गई। वह उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और फोन पर कॉल करता था। वह लॉकडाउन के दौरान इसी मोबाइल फोन पर ऑनलाइन क्लास लेती थी। सहाबुद्दीन के साथ उसके प्रेम संबंध के संबंध में उसकी बहन को भी पता चल गया। सहाबुद्दीन ने दूसरा मोबाइल नंबर भी दिया। उसके छोटे भाई को भी इस बात का पता चल गया। उसकी मां ने भी उसे सहाबुद्दीन से बात करने से मना किया था। चूंकि उसकी बहन सहाबुद्दीन के साथ उसके संबंध को पसंद नहीं करती थी। सहाबुद्दीन इस बात से नाराज था और उसने उससे कहा था कि वह उसे सबक सिखाएगा और कुछ करेगा। यह बात उसने 12.01.2021 को बताई थी। फिर रात 9:30 बजे सहाबुद्दीन से उसकी व्हाट्सएप पर बात हुई। वह अपने दोस्त मोहम्मद अजहर और मोहम्मद सहजाद के साथ उससे मिलने रात में उसके घर आया। सहाबुद्दीन के दोस्त ने उसकी बहन को पकड़ लिया। उसकी बहन रोई लेकिन चाकू दिखाकर उसे अपने साथ खींच लिया। डर के कारण वह अपने माता-पिता को इस घटना के संबंध में नहीं बता सकी। चूंकि वह सहाबुद्दीन से प्यार करती थी और उसके बाद उसकी बहन का शव तालाब से बरामद हुआ। ऐसे में जांच के दौरान जांच अधिकारी ने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ली। मृतका का पोस्टमार्टम किया गया और मृतका के साथ दुष्कर्म और हत्या के संबंध में अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए गए। उनके खिलाफ जांच लंबित है, लेकिन जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जांच अधिकारी द्वारा राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव के खिलाफ भेजी गई क्लोजर रिपोर्ट पर संबंधित ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध का संज्ञान लिया।

24. पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 2(जे) के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा से ही, यौन उत्पीड़न का अर्थ धारा 11 में दिया गया है।

25. पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 11 जिसे ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को किसी बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने वाला तब कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति यौन इरादे से बार-बार या लगातार किसी बच्चे का पीछा करता है या देखता है या सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी अन्य माध्यम से संपर्क

करता है, तो यह पोक्सो अधिनियम की धारा 11(4) के मद्देनजर यौन उत्पीड़न माना जाएगा।

26. एफआईआर में ही कहा गया है कि 12 सीआर रेव. संख्या 663 ऑफ 2022 की नाबालिग पीड़ित लड़की को स्कूल के शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, जो उसे छेड़ता था। उसकी बुरी नजर भी थी, इसलिए उसके खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की गई थी और उसे उस स्कूल से शिक्षक के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद उसने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। **एफआईआर के इन आरोपों की पुष्टि पीड़िता के पिता रंजीत कुमार, पीड़िता की मां संगीता देवी, पीड़ित लड़की की छोटी बहन सुमेधा रानी, पीड़ित लड़की की सहेली रिशु रीति, पीड़ित लड़की की सहपाठी आरती, पीड़ित लड़की के 10 वर्षीय भाई राजवीर कुमार के बयान से भी होती है, जिन्हें जांच के दौरान आईओ ने दर्ज किया था और इन सभी गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा है कि आरोपी राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव पीड़िता लड़की को परेशान करता था। उसकी बुरी नजर थी। वह मोबाइल फोन पर फोन करता था। इसी बात को लेकर उसने अपने घर में शिकायत की थी और पीड़ित लड़की के पिता ने इसकी शिकायत संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से की थी और प्रिंसिपल ने उसे शिक्षक के पद से हटा दिया था। इसके बाद उसने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। एफआईआर के इन आरोपों की पुष्टि पीड़िता के पिता रंजीत कुमार, पीड़िता की मां संगीता देवी, पीड़ित लड़की की छोटी बहन सुमेधा रानी, पीड़ित लड़की की सहेली रिशु रीति, पीड़ित लड़की की सहपाठी आरती, पीड़ित लड़की के 10 वर्षीय भाई राजवीर कुमार के बयान से भी होती है, जिन्हें जांच के दौरान आईओ ने दर्ज किया था और इन सभी गवाहों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा है कि आरोपी राहुल यादव उर्फ हरि कुमार यादव पीड़ित लड़की को छेड़ता था। उसकी बुरी नजर थी। वह मोबाइल फोन पर फोन करता था। इसी बात को लेकर उसने अपने घर में शिकायत की थी** और पीड़ित लड़की के पिता ने इसकी शिकायत संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से की थी और प्रिंसिपल ने उसे शिक्षक के पद से हटा दिया था। इसके बाद उसने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इन गवाहों द्वारा यह भी कहा गया है कि उस विद्यालय से शिक्षक के पद से हटाए जाने के बाद भी वह सूचक की पीड़ित पुत्री का पीछा करने का प्रयास करता था तथा उससे मिलने और बात करने का भी प्रयास करता था। इस प्रकार, वर्तमान याचिकाकर्ता का कृत्य पोक्सो

अधिनियम, 2012 की धारा 11(4) के अंतर्गत आता है, जो पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 2(जे) में वर्णित यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है तथा यह पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 12 के अंतर्गत दंडनीय है।

27. यहां एफआईआर में लगाए गए आरोपों तथा सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत गवाहों के बयान 13 सीआर रेव. संख्या 663/2022 से, जैसा कि ऊपर वर्णित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ पीड़िता जो सूचक की मृत लड़की है, के साथ किए गए यौन उत्पीड़न के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं।

28. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर तथा उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के स्थापित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है तथा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

29. इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया जाता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है।

30. निर्णय की प्रति अभिलेख सहित संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(सुभाष चंद, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक: 20.12.2023
एएफआर आरकेएम

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।